निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड,मानपुर पूरब,रामपुर रोड,हल्द्वानी–नैनीताल ।

–: नीलामी सूचना :–

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी में निष्प्रयोज्य पुराने/अक्रियाशील उपकरणों की नीलामी हेतु शासन के पत्र सं. 100/XVII-4/2018–01(01)/2018 दिनांक 04मई 2018 द्वारा स्वीकृति के कम में दिनांक 10.09.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे निदेशालय परिसर में सार्वजनिक नीलामी की जायेगी सामग्री जिस रूप में निदेशालय में रखी गई है की बोली जिस किसी महानुभाव को बोली बोलनी हो,बोली बोल सकता है ।

नीलामी की शर्तेः–

1 नीलामी बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व रू 6000/–(रू.छःहजार मात्र) ड्राफ्ट/नगद जमानत के रूप में अधिकृत व्यक्ति के पास जमा करना होगा ।

2. सर्वोच्च बोलीदाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जा सकती है। उच्च बोलीदाता बोली की धनराशि का 1/4 भाग उसी समय जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 3/4 भाग एक सप्ताह की अवधि में जमा कराना होगा । अन्यथा पूर्व में जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर ली जायेगी ।

3. उक्त नीलामी को बिना किसी पूर्व सूचना के बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का अधिकार निदेशक का होगा ।

4. निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची निदेशालय के नजारत कक्ष में किसी भी कार्य दिवस को देखी जा सकती है । निदेशालय के सूचना पट पर भी निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची चस्पा है ।

5. न्यूनतम बोली रू0 1,87,721/– (रू.एक लाख सत्तासी हजार सात सौ इक्कीस मात्र)से प्रारम्भ की जायेगी ।

6. धरोहर धनराशि की वैद्यता नीलामी की अतिंम वैद्य अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है ।

7. स्वीकृत बोली दाता को निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी वस्तुओं के स्वीकृत धनराशि पर जी.एस.टी. शुल्क 18 प्रतिशत अलग से जमा करना होगा तथा अस्वीकृत नीलामीदाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी ।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक,
निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड,हल्द्वानी–नैनीताल ।

पत्रांक/2201/स.क./नि.साम.नी./2018–19 दिनांक 29 अगस्त 2018

प्रतिलिपि–1–सम्पादक,अमर उजाला,हिन्दुस्तान रामपुर रोड, हल्द्वानी–नैनीताल कृपया शासन द्वारा निर्धारित दरों पर पूरे उत्तराखण्ड में प्रसारित पृष्ट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

2–नोटिस बोर्ड हेतु ।

निदेशक,